



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45521

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3100/2026

कृष्ण कुमार गुप्ता

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अशोक कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., सुदर्शन सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित श्री सुदर्शन सिंह को सुना।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:-

i. निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी करें दिनांक 06.05.2024 के विवादित आदेश को रद्द किया जाए और प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता को क्लर्क के पद पर नियुक्त करने पर विचार करे।

ii. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को सेना में क्लर्क के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दें, जिस पद के लिए याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था और जिसकी नियुक्ति अवैध रूप से अस्वीकार कर दी गई थी।

iii. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाएं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. श्री सुदर्शन सिंह ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 13539/2024, कृष्ण कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 11.12.2024 को पारित आदेश और विशेष अपील संख्या 92/2025, कृष्ण कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 30.04.2025 को पारित आदेश प्रस्तुत किए हैं, जिनमें दिनांक 06.05.2024 के उसी आदेश को चुनौती दी गई थी और रिट याचिका एवं विशेष अपील खारिज कर दी गई थी।
4. उक्त स्थिति को देखते हुए, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है।
5. मैंने बार की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलों को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
6. समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 13539/2024, कृष्णा कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 11.12.2024 को पारित आदेश इस प्रकार है:-

*"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सिंह और श्री नागेंद्र कुमार सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रमन सक्सेना को सुना गया।*

*याचिकाकर्ता ने 18.05.2017 से 21.05.2017 तक कोहिमा, नागालैंड में सैनिक (क्लर्क)/स्टोर कीपर के रूप में भर्ती के लिए उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित भर्ती रैली में भाग लिया था।*

*याचिकाकर्ता को चिकित्सा बोर्ड द्वारा दो अक्षमताओं, अर्थात् "मैलोकलूजन" और "क्यूबिटस वैल्वस बाइलेटरल" के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के पास भेजा गया। समीक्षा चिकित्सा बोर्ड ने मूल निष्कर्षों से सहमति जताते हुए याचिकाकर्ता को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया।*

*चिकित्सा बोर्ड और समीक्षा चिकित्सा बोर्ड ने वर्ष 2017 में अपने आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2023 में इस न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ता*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अभ्यावेदन को दिनांक 06.05.2024 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने पहली बार वर्ष 2023 में, यानी भर्ती प्रक्रिया के छह वर्ष बाद, इस न्यायालय में याचिका दायर की थी। मात्र इस तथ्य से कि रिट याचिका पर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश पारित किया गया, विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता या याचिकाकर्ता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। विलंब और लापरवाही के आधार पर ही रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। हालांकि, न्याय के हित में, मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर भी किया जा रहा है।

विवादित आदेश में यह दर्ज है कि याचिकाकर्ता को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित करने वाले चिकित्सा समिति और समीक्षा चिकित्सा समिति की उपरोक्त राय न्यायसंगत और वैध है। विवादित आदेश कारणों सहित दिया गया है।

चिकित्सा समिति और समीक्षा चिकित्सा समिति विशेषज्ञ निकाय हैं जिनमें विशेषज्ञता और अनुभव वाले चिकित्सा पेशेवर शामिल हैं। इस मामले में चिकित्सा समिति और समीक्षा चिकित्सा समिति के निष्कर्ष तर्कसंगत हैं।

भारतीय सेना द्वारा गठित चिकित्सा समितियों के पास आवश्यक चिकित्सा परीक्षण करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। रिट याचिका में चिकित्सा समितियों की विशेषज्ञता या संसाधनों की उपलब्धता को चुनौती नहीं दी गई है।

न्यायालय चिकित्सा समितियों के निष्कर्षों को अपनी राय से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त निष्कर्षों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं बताई गई है।

उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, विवादित आदेशों या चिकित्सा समिति या समीक्षा चिकित्सा समिति के निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

न्यायालय मेजर स्टीव बारेटो, कार्यवाहक विधि प्रकोष्ठ मुख्यालय, पूर्वा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश उपक्षेत्र द्वारा दी गई सहायता की सराहना करता है।”

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इसके अतिरिक्त, एक विशेष अपील संख्या 92/2025, कृष्ण कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य, दायर की गई, जिसमें 30.04.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"(संदर्भ: सिविल विविध विलंब क्षमा आवेदन संख्या 1/2025)

सुनवाई हुई।

विशेष अपील दाखिल करने में हुई देरी का कारण न्यायालय को संतोषजनक लगा। विशेष अपील दाखिल करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

तदनुसार, विलंब क्षमा आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(संदर्भ: विशेष अपील)

माननीय एकल न्यायाधीश ने वर्ष 2024 में अपीलकर्ता द्वारा चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के कारण चयन न होने पर प्रश्न उठाते हुए दायर की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

मामले के निर्विवाद तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता ने नागालैंड के कोहिमा में सैनिक (क्लर्क)/स्टोर कीपर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2017 में शुरू हुई थी। प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण में अपीलकर्ता दो विकलांगताओं से ग्रसित पाया गया था, लेकिन पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड में, उसे केवल इस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया कि वह द्विपक्षीय कुबिटस वेल्वगस से ग्रसित था। इसके बाद, दीमापुर के जिला अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकारियों को कुछ अभ्यावेदन दिए गए, जिसके अनुसार अपीलकर्ता ऐसी किसी विकृति से ग्रसित नहीं था। अंततः वर्ष 2024 में उसके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, अभ्यावेदन को खारिज करने के अधिकारियों के आदेश को विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी।

विद्वान् एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका खारिज कर दी कि अभ्यावेदन पर इस न्यायालय द्वारा वर्ष 2023 में जारी निर्देशों के अनुसार विचार किया गया था। इतने विलंब के बाद, माननीय एकल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायाधीश ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, विशेष रूप से तब जब अधिकारियों के निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं पाई गई।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता के दावे पर अधिकारियों से अपेक्षित रूप से विचार नहीं किया गया है, क्योंकि दीमापुर के जिला अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिसमें अपीलकर्ता को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ बताया गया है, पर विचार नहीं किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित श्री पी.एन. राय ने इस आधार पर अपील का विरोध किया कि भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2017 में समाप्त हो चुकी है और इसलिए, इतने विलंब के बाद इस न्यायालय के लिए मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं बनता है।

अभिलेख में रखे गए दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता वर्ष 2017 में चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया था। हालांकि, यह आरोप लगाया गया है कि कुछ अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन चिकित्सा कारणों से अपीलकर्ता के चयन न होने को समय पर चुनौती नहीं दी गई। छह साल बाद, 2023 में, एक रिट याचिका दायर की गई। अधिकारियों ने दावे पर विचार किया और निवेदन को खारिज कर दिया। द्विपक्षीय कुबिटस वैल्गस की चिकित्सीय विकृति किस हद तक अपीलकर्ता को रक्षा सेवा में सार्वजनिक रोजगार के लिए अयोग्य ठहराती है, यह मूल रूप से इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा जांच का विषय है। हम इस तरह की जांच में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि इस संबंध में मामला छह साल बाद उठाया गया है। इस विलंबित चरण में और साथ ही माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय में दर्ज किए गए कारणों के आधार पर, हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

विशेष अपील खारिज की जाती है।”

8. रिट याचिका के पैरा-1 में यह कहा गया है कि दिनांक 06.05.2024 के आदेश को चुनौती देने वाली यह पहली रिट याचिका है और याचिकाकर्ता ने स्वयं शपथ पत्र दाखिल किया है। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है जो महत्वपूर्ण तथ्य के खुलासे से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, रिट याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति ,विकास बुधवार)

27 फरवरी, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।